

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को अपने—अपने प्रशाखा के लिए सहायक लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. सभी सहायक लोक सूचना पदाधिकारी अपने प्रशाखा से संबंधित आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु एतद संबंधी प्रभारी पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी को युक्ति—युक्त सहयोग प्रदान करेंगे।
3. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

₹०/-

सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि.प्रा.(।)विविध-26 / 2013

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, विपार्ड, वाल्मी, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

₹०/-

सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि.प्रा.(।)विविध-26 / 2013

२३५४ /पटना, दिनांक- २४.९.२०१५

प्रतिलिपि – श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक (प्र.)—सह—लोक सूचना पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी/सभी सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

2. आई. टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

२३५४ - १११५
२३/९/१५

३०२/२०१५
सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।